

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर  
मु0नं0-19/2017

उनवान -सरकार बनाम हरिओम पुत्र रामेन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम अतिराज का पुरा की  
खिरकारी पंचायत रूधेरा तहसील बाडी जिला धौलपुर  
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0  
एक्ट 2006 नियम 2011



निर्णय

दिनांक -19.02.2020

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री वदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री हरिओम पुत्र रामेन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम अतिराज का पुरा की खिरकारी पंचायत रूधेरा तहसील बाडी जिला धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.07.2016 को धौलपुर रोड बाडी में दूध विक्रेताओं की चेंकिंग के दौरान दूध विक्रेता को रोक कर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि अभियुक्त द्वारा मोटर साईकिल नम्बर आर जे 11 एसडी 7994 (स्प्लेंडर प्रो) प्लास्टिक की टंकी में 40 लीटर मिश्रित दूध आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। अभियुक्त से मिश्रित दूध विक्रय का खाद्य अनुज्ञापत्र वर्ष 2016 दिखाने को कहा तो उसने अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर किया। उक्त मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर उक्त 40 लीटर दूध में से 2 लीटर वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त मिश्रित दूध नमूना डी-1092 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट एलएस/703/एक्ट/2016/710 दिनांक 12.08.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड एवं वाहरी तत्व की मिलावट प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अभियुक्त/अप्रार्थी बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं हुआ। अभियुक्त/अप्रार्थी के विरुद्ध दिनांक 10.2.18 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण पैरोकार सरकार की एकपक्षीय वहस हेतु नियत किया गया। पैरोकार सरकार को वहस हेतु कई मौके दिये गये। दिनांक 22.1.2020 पैरोकार सरकार उपस्थित नहीं हुये तथा उनका वहस का मौका बंद किया गया तथा पत्रावली आदेश हेतु नियत की गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट एलएस/703/एक्ट/2016/710 दिनांक 12.08.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड एवं वाहरी तत्व की मिलावट प्रकृति का होना पाया गया। जिससे यह भलिभौति सिद्ध होता है कि अभियुक्त/अप्रार्थी द्वारा उक्त सबस्टैंडर्ड दूध का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अभियुक्त/अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड दूध बेचने का दोषी है जो धारा 51 एवं 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री हरिओम पुत्र रामेन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम अतिराज का पुरा की खिरकारी पंचायत रूधेरा तहसील बाडी जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 के तहत 1500/-रुपये ( एक हजार पाँच सौ- रु0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। अभियुक्त/अप्रार्थी श्री

हरिओम पुत्र रामेन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम अतिराज का पुरा की खिरकारी पंचायत रुधेरा तहसील बाडी जिला धौलपुर से उक्त जुर्माना राशि 1500/-रु० भू-राजस्य अधिनियम के तहत वसूली हेतु तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर को लिखा जावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेन्द्र क. कर्मा)  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
धौलपुर (राज.)